

भारत सरकार  
पर्यावरण व वन मंत्री प्राधिकारी परिवर्तन  
मंत्रालय  
कार्यालय (उत्तर-केन्द्रीय क्षेत्र)  
25 सुशास्य रोड, देहरादून-248001  
फूर्मान: 0135-2650809  
फैक्स-0135-2653010  
ईमेल - moef.ddn@gov.in

GOVERNMENT OF INDIA  
MINISTRY OF ENVIRONMENT & FOREST  
CLIMATE CHANGE  
REGIONAL OFFICE (NORTH CENTRAL  
ZONE)  
25 SUBHASH ROAD, DEHRADUN-248001  
PHONE- 0135-2650809  
FAX- 0135-2653010  
Email- [moef.ddn@gov.in](mailto:moef.ddn@gov.in)

पत्र सं0 ०४वी/य०२०१०पी०/०६/१८१/२०१५/एफ०सी० ।।०७८

दिनांक १० / १२ / २०१८

रोपा गे-

अपर मुख्य सचिव (वन)  
उत्तराखण्ड शासन,  
सुशास्य रोड, देहरादून।

विषय : जनपद - नैनीताल में राज्य राजमार्ग 41 के किमी० 82 शेरनाला/असानी रोला में 120 मी० रपान अरियांसी० प्रीस्टेड कंकीट सेतु व पैहुच मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.44 हेतु वन भूमि का लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड को प्रत्यावर्तन।

राज्यीय मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, उत्तराखण्ड शासन की पत्र संख्या-1221/FP/UK/ROAD/8508 २  
दिनांक 02.11.2018

महादय,

लृपया उपर्योगी नियम पर अंगलाइन प्रस्ताव संख्या FP/UK/ROAD/8508/2014 का आशय यहां व्यापक अप्ट करे, जिसके द्वारा राज्य सरकार ने विषयाकित प्रस्ताव पर वन संरक्षण अधिनियम, 1980 की बारा-२ के तहत सरकार की स्वीकृति मार्गी थी।

प्रश्नात प्रकरण में इस कार्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांक- 26.09.2016 द्वारा सेहानालक स्वीकृति प्रस्तुती थी श्री जिसमें उल्लिखित शर्तों की उनुपालना आख्या मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, उत्तराखण्ड व उप समन्वय वन एवं वन विभाग की निर्दिष्ट हुआ है कि कंकीट सेतु व पैहुच मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.44 हेतु वन भूमि का लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड को प्रत्यावर्तन किया जाने के मन्त्रालय में विधिवत् स्वीकृति निम्नान्त शर्तों पर दान दर्शायी है-

1. वन भूमि की विधिक विधियां वदली नहीं जाएँगी।
2. प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा पर वन विभाग द्वारा पातन किया जाने वाले वृक्षों के द्वारा युक्त अवैत्त ३४० वर्ष वृक्षारोपण एवं १० वर्षों तक रखारखाव किया जायेगा।
3. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा विभाग की देख-रेख में प्रत्यावर्तित भूमि का RCC Pillars लगाकर सीमांकुश विनाश पर Forward तथा Back bearing भी अंकित किया जाएगा।
4. अडक के निर्माण के पश्चात जहाँ-जहाँ समान ही राडक के दानों किनारों लिया Central Vetus प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने द्वारा पर वन विभाग की देख-रेख में strip plantation की जाएगी।
5. ऐसी दी की दरों में अपर अधिकारी होती है तो प्रयोक्ता अभिकरण वही दरों पर एन.वी.टी. दिन के दी होगा।

८. प्रधानमंत्री अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वन शोब्र के आस-पास मजदूर/स्टोक के हित किसी की नहीं कोई नहीं लगाया जायेगा।

✓ इच्छा सरकार district profile की CA stipulation details को Part 2 के कार्यालय १५ में अनुसृत उपरान्त ही निषिद्धत्व स्थीकृति का अन्तिम ओदश जारी करेगी।

९. प्रधानमंत्री अभिकरण के द्वारा प्रस्तावित निर्माण कार्य के दौरान रथल पर कार्रवात मजदूरों एवं स्टोक लगाई गयी केरोसिन तेल की आपूर्ति जी जायेगी, ताकि निकटवर्ती वनों को क्षति न पहुँच।

१०. कम से कम चूलों का कटान/पातन किया जाएगा, जिनकी संख्या प्ररताव के अनुसार ५४ से अधिक हो।

११. परियोजना के निर्माण व स्थ-स्थान के दौरान आस-पास के शोब्र की प्राप्तियां एवं जीव-किसी प्रकार की धृति नहीं पहुँचायी जायेगी।

१२. परियोजना निर्माण से सत्यार्जित गतियों का निरसारण पर्योक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत गतियों निरीक्षण के अनुसार प्रभागीय बनाधिकारी की देख-रेख में किया जाएगा एवं निर्दिष्ट स्थानों के अलावा अन्य जीव-की प्रकार नहीं फेंका जाएगा।

१३. यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/चालानय आदेश/अनुदेश आदि इस संलग्न में इस वन मूलि यो किसी अन्य राज्य, विभाग या व्यक्ति के पक्ष में भासत तथा किसी भी प्रियरिति में इस वन मूलि यो किसी अनुमति तोना राज्य सरकार/प्रयोक्ता एवं उत्तरदायित्व होगा।

१४. ऐसी कोई अन्य शर्त जो निषिद्धत्व में शीतोष्ण कार्यालय सत-स्थ-वन्य-जीवों आदि के सम्बन्ध में समझे।

इस स्थीकृति में निहित किसी भी निर्धारित शर्त का अनुपालन नहीं होने अथवा सन्तावजनक अनुपालन होने की निषिद्धत्व में केन्द्र सरकार द्वारा रखीकृति को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है।

राज्य सरकार वन विभाग के माध्यम से इन शर्तों की अनुपालन सुनिश्चित करता है।

मद्दत

(कमल  
वन संचय)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

१. अपर वन महानिदेशक (एफ०सी०), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोरबड़ी, रोड, आलीगंज, नई दिल्ली।
२. मुख्य वन राज्यक एवं नोडल अधिकारी, वन राज्याण, इन्दिरा नगर, फैजाबाद कालीगंज।
३. आदेश पत्रालय।

(कमल  
वन संचय)

८५